



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 05 जनवरी 2018 ई0

पौष, 15 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 15 / विधायी एवं संसदीय कार्य / 2017

देहरादून, 05 जनवरी, 2018

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) विधेयक, 2017 को दिनांक 03 जनवरी, 2018 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2018 के रूप में सर्व-साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

**उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन  
(रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017  
(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष 2018)**

दुकानों और स्थापनों में नियोजित कर्मकारों के रोजगार और सेवा की अन्य शर्तों से संबंधित विधियों को विनियमित, संशोधित और समेकित करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषांगिक मामलों के लिए

उत्तराखण्ड राज्य के राज्य विधान मंडल द्वारा भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**अध्याय-1**

**प्रारंभिक**

- संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारम्भ**
1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त), अधिनियम, 2017 है।
- (2) यह दस या अधिक कार्मिकों को नियोजित करने वाली दुकानों और स्थापनों को लागू होगा।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
- परिभाषाएं**
2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
- (क) "मुख्य सुकारक" से धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नियुक्त सुकारक अभिप्रेत है;
- (ख) "दिवस" से मध्य रात्रि को आरंभ होने वाली चौबीस घंटे की अवधि अभिप्रेत है;
- (ग) "नियोक्ता" से ऐसा स्वामी या व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी दुकान या किसी स्थापन के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण रखता है और इसमें:-
- (एक) किसी फर्म या व्यष्टियों के संगम की दशा में फर्म या संगम का कोई भागीदार या सदस्य;
- (दो) किसी कंपनी की दशा में कंपनी का कोई निदेशक;
- (तीन) केंद्रीय सरकार या राज्य या स्थानीय प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित किसी दुकान या किसी स्थापन की दशा में, यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी दुकान या स्थापन के कार्यों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया या किए गए व्यक्ति सम्मिलित हैं;
- (घ) "स्थापन" से ऐसा परिसर अभिप्रेत है, जो ऐसे किसी कारखाने या किसी दुकान का परिसर नहीं है:-

(एक) जिसमें कोई व्यापार कारबार, निर्माण या उससे संबंधित या उसके अनुषांगिक या उसका सहायक कोई कार्य या कोई भी पत्रकारिक या मुद्रण कार्य या बैंककारी, बीमा, स्टाक और शेयर, दलाली या उपज एक्सचेंज का कार्य किया जाता है; या

(दो) जिसका प्रयोग नाट्यशाला, सिनेमा या सार्वजनिक आमोद-प्रमोद या मनोरंजन के किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है, जिसको कारखाना अधिनियम, 1948 के उपबंध लागू नहीं होते हैं।

- (ड.) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;
- (च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (छ) "दुकान" से ऐसा कोई भी परिसर अभिप्रेत है, जहां माल का खुदरा या थोक द्वारा विक्रय किया जाता है या जहां ग्राहकों को सेवाएं दी जाती हैं और इसके अंतर्गत कोई कार्यालय, कोई भंडारगृह, गोदाम, भांडागार या कार्यगृह या कार्यस्थल है, जहां तैयार माल का वितरण या पैकिंग या पुनः पैकिंग की जाती है; किन्तु इसके अंतर्गत किसी कारखाने से संलग्न ऐसी दुकान नहीं है, जहां ऐसी दुकान में नियोजित व्यक्तियों को कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन उपबंधित फायदे अनुज्ञात हैं;
- (ज) "राज्य" का अभिप्राय उत्तराखण्ड राज्य से है;
- (झ) "मजदूरी" से धन के रूप में अभिव्यक्त या इस प्रकार अभिव्यक्त होने के लिए समर्थ सभी पारिश्रमिक (वेतन, भत्तों के रूप में या अन्यथा) अभिप्रेत है, जो यदि नियोजन के अभिव्यक्त या विविक्षित निबंधन पूरे कर दिए जाएं तो किसी नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य की बावत संदेय होंगे और इसके अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं—

(एक) किसी अधिनिर्णय या पक्षकारों के बीच समझौते की अधीन या किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी भी आदेश के अधीन संदेय कोई भी पारिश्रमिक;

(दो) कोई भी पारिश्रमिक, जिसका नियोजित व्यक्ति अतिकालिक कार्य या अवकाश दिन या किसी छुट्टी अवधि की बावत अधिकार है;

(तीन) नियोजन के निबंधनाधीन व्यक्ति संदेय कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक (चाहे बोनस के नाम से या किसी अन्य

नाम से);

(चार) कोई राशि, जिसका नियोजित व्यक्ति के नियोकजन समाप्ति के कारण से किसी ऐसी विधि, संविदा या लिखत के अधीन संदेय है, जो कटौतियों सहित या उसके बिना ऐसी राशि के संदाय का उपबंध करती है;

(पांच) कोई राशि, जिसका नियोजित व्यक्ति तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विरचित किसी स्कीम के अधीन हकदार है; और

(छः) मकान किराया भत्ता

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं—

(क) कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधनाधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं है या जो किसी अधिनिर्णय या पक्षकारों के बीच समझौते के अधीन या किसी न्यायालय के किसी भी आदेश के अधीन संदेय नहीं है;

(ख) किसी आवास या विद्युत, जल प्रदाय, चिकित्सा परिचर्या या अन्य सुख सुविधा का या राज्य सरकार के किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी की संगणना से अपवर्जित किसी सेवा का मूल्य ;

(ग) किसी पेंशन या भविष्य निधि में नियोक्ता द्वारा संदत्त कोई अभिदाय और ब्याज जो उस पर प्रोद्भूत हो;

(घ) कोई यात्रा भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य;

(ङ.) नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन की प्रकृति से उसके द्वारा किए गए विशेष व्ययों को चुकाने के लिए संदत्त कोई रकम;

(च) उपखंड (चार) में विनिर्दिष्ट मामलों से भिन्न किसी मामले में नियोजन की समाप्ति पर संदेय कोई उपादान;

(ज) "सप्ताह" से शनिवार की रात या किसी अन्य रात, जिसका मुख्य सुकारक द्वारा किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए लिखित में अनुमोदन किया जाए, की मध्यरात्रि को आरंभ होने वाले सात दिन की अवधि अभिप्रेत है;

(ट) "कर्मकार" से किराया या पारिश्रमिक के लिए किसी मानवीय, अदक्ष, दक्ष, तकनीकी, संक्रियात्मक या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हो या विविक्षित, कोई व्यक्ति (शिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन किसी शिक्षु के सिवाय)।

एवं परिसर पर  
यह अधिनियम  
लागू नहीं होंगे

- (क) किसी दुकान में या किसी स्थापन में गोपनीय, प्रबंधकीय या पर्यवेक्षणीय प्रकृति का पद रखते वाला कोई कर्मकार;
- (ख) ऐसा कोई कर्मकार, जिसका कार्य अंतर्निहित: आन्तरायिक है;
- (ग) सरकार या स्थानीय प्राधिकरण का कोई भी कार्यालय;
- (घ) भारतीय रिजर्व बैंक का कोई भी कार्यालय;
- (ङ) रोगी, शिथिलांग, निराश्रित या मानसिक रूप से अयोग्य के उपचार या देखरेख के लिए प्रयुक्त कोई स्थापन ; और
- (च) किसी नियोक्ता के कुटुंब का कोई सदस्य।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कर्मकारों की सूची दुकान या स्थापन की वेबसाइट पर और वेबसाइट के अभाव में दुकान या स्थापन में किसी सहजदृश्य स्थान में प्रदर्शित की जाएगी और उसकी एक प्रति सुकारक को भेज दी जाएगी।

कतिपय अधिकार 4.  
एवं विशेषाधिकार,  
जो इससे प्रभावित  
नहीं होंगे

इस अधिनियम की कोई बात किसी ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका कोई कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, अधिनिर्णय, करार, संविदा, रूढ़ि या प्रथा के अधीन हकदार है।

## अध्याय-2

### रजिस्ट्रीकरण और श्रमिक पहचान पत्र संख्या जारी करना

दुकानों और  
प्रतिष्ठानों का  
पंजीकरण तथा  
श्रमिक पहचान  
संख्या जारी  
करना

5. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ पर दस या अधिक कर्मकार नियोजित करने वाली प्रत्येक दुकान और स्थापन, ऐसे प्रारंभ की तारीख से या उस तारीख से, जिसको ऐसी दुकान या स्थापन अस्तित्व में आता है, छह मास की अवधि के भीतर रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे और श्रमिक पहचान संख्या अभिप्राप्त करेंगे।
- (2) दस या अधिक कर्मकार नियोजित करने वाली प्रत्येक दुकान और स्थापना, ऐसे कतिपय व्यक्तियों और परिसरों को अधिनियम का लागू नहीं होना प्राधिकरण को और ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा।
- (3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्राधिकरण उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर दुकान या स्थापन को रजिस्ट्रीकृत करेगा और श्रमिक पहचान संख्या ऐसे प्रारूप में जारी करेगा, जो विहित किया जाए।
- (4) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी राज्य-बीमा अधिनियम, 1948 या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों, विनियमों या स्कीम के अधीन रजिस्ट्रीकृत दुकानों और स्थापनों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत समझा जाए :

परंतु ऐसी दुकानें और स्थापन, इस अधिनियम के प्रारंभ से छह माह की अवधि के भीतर श्रमिक पहचान संख्या ऐसी रीति में अभिप्राप्त करेंगे, जो विहित की जाए।

### अध्याय-3

#### नियोक्ता के कर्तव्य

महिला कार्यकर्ता  
के विरुद्ध भेदभाव  
का निषेध

- (1) भर्ती, प्रशिक्षण, स्थानान्तरण या प्रोन्नति या मजदूरी के मामलों में किसी महिला कर्मकार के विरुद्ध विभेद नहीं किया जाएगा।
- (2) किसी महिला से प्रातः छह बजे से रात्रि नौ बजे के बीच के समय के सिवाय किसी दुकान या स्थापन में कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु जहां राज्य सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी दुकान या स्थापन में आश्रय, विश्राम कक्ष, रात्रि शिशु कक्ष, महिला शौचालय, उनकी गरिमा और सुरक्षा का पर्याप्त संरक्षण, यौन उत्पीड़न से संरक्षण और दुकान या स्थापन से उनके निवास स्थान तक परिवहन की व्यवस्था विद्यमान है, तो वह अधिसूचना द्वारा महिला कर्मकार की सहमति प्राप्त करने के पश्चात उसे ऐसी शर्तों के अधीन, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, रात्रि नौ बजे से प्रातः छ बजे की बीच कार्य करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

स्वास्थ्य और  
श्रमिकों की सुरक्षा

- (1) प्रत्येक नियोक्ता, कर्मकारों के स्वास्थ्य और सुरक्षा (जिसके अन्तर्गत स्वच्छता, प्रकाश, संवातन और आग का निवारण भी है) से संबंधित ऐसे उपाय करेगा, जो विहित किये जाए।
- (2) प्रत्येक नियोक्ता, दुकान या स्थापन में नियोजित कर्मकारों का बराबर और समुचित पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने के लिए और उपधारा (1) के अधीन स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए तथा दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने का उत्तरदायी होगा।

कार्य के घण्टे को  
निश्चित करना  
एवं बढ़ाना

- (1) किसी वयस्क कर्मकार से किसी दुकान या स्थापन में किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटे और एक दिन में नौ घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे अनुज्ञात नहीं किया जाएगा तथा किसी कर्मकार से निरंतर पांच घण्टे से अधिक कार्य करने के लिए तब तक नहीं कहा जाएगा, जब तक उसे आधे घण्टे से अनधिक का विराम न दे दिया गया हो :

परंतु अत्यावश्यक प्रकृति के कार्य की दशा में कार्य के घण्टे या साप्ताहिक विश्राम में सुकारक की पूर्व अनुज्ञा से छूट दी जा सकेगी।

- (2) किसी भी दुकान या स्थापन में किसी पाली में कार्य के घण्टों की कुल संख्या, जिसके अंतर्गत विश्राम अंतराल भी है, साढ़े दस

घण्टों से अधिक नहीं होगी और उस दशा में, जब किसी कर्मकार को आन्तरायिक प्रकृति का कार्य का अत्यावश्यक कार्य न्यस्त किया गया है, वहां विस्तृति बारह घण्टों से अधिक नहीं होगी।

- (3) एक दिन में नौ घण्टों या किसी सप्ताह में अड़तालीस घण्टों से अधिक किसी कार्य के घण्टों की अतिकालिक समझा जाएगा और अतिकालिक घण्टों की कुल संख्या तीन मास की अवधि में एक सौ पच्चीस से अधिक नहीं होगी।
- (4) राज्य सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बनाएगी,
  - (क) उपधारा (1) के अध्यक्षीन कार्य के उन घण्टों की संख्या नियत करना, जिनसे दुकान या स्थापन में नियोजित कर्मकार के लिए एक या अधिक विनिर्दिष्ट अंतरालों सहित सामान्य कार्य दिवस का गठन होगा :
  - (ख) सात दिन की प्रत्येक अवधि में विश्राम के ऐसे दिन का उपबंध करना, जो दुकान या स्थापन में नियोजित सभी कर्मकारों को अनुज्ञात होगा और आराम के ऐसे दिनों की बाबत पारिश्रमिक के संदाय का उपबंध करना :
- (5) उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध ऐसी दुकान या स्थापन में नियोजित कर्मकारों के निम्नलिखित वर्ग के संबंध में केवल उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अध्यक्षीन लागू होंगे, जो विहित किए जाए, अर्थात् :-
  - (क) अत्यावश्यक कार्य या किसी आपात, जिसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता या जिसे नहीं रोका जा सकता, में लगे कर्मकार :
  - (ख) प्रारंभिक प्रकृति या पूरक काम में लगे कर्मकार, जिसे आवश्यक रूप से नियमों से अधिकथित कार्य के सामान्य घण्टों के पूर्व या पश्चात् किया जाना है :
  - (ग) किसी ऐसे कार्य में लगे कर्मकार, जो तकनीकी कारणी से दिन समाप्त होने से पहले पूरा किया जाना है :
  - (घ) ऐसे कार्य में लगे कर्मकार, जो प्राकृतिक शक्तियों के लिए अनियंत्रित कार्यवाहियों पर निर्भर समयों के सिवाय नहीं किया जा सकता : और
  - (ङ) अत्यधिक दक्ष कर्मकार (ऐसे कर्मकार, जो सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान तथा विकास प्रभाग के स्थापनों में कार्यरत् है।

अधिसमय कार्य 9. के लिए मजदूरी

जहां किसी कर्मकार से किसी दिन में नौ घण्टे और एक सप्ताह में अड़तालीस घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, वहां वह मजदूरी की सामान्य दर से दुगुनी दर से मजदूरी या ऐसी

उच्चतर रकम का हकदार होगा, जो विहित की जाएं।

कार्य की पाली में  
बदलाव और  
विश्राम

- (1) दुकान या स्थापन का कोई विभाग या विभाग का कोई प्रभाग, नियोक्ता के विवेकानुसार एक पाली से अधिक में कार्य कर सकेगा और यदि ऐसे अधिक पाली में कार्य किया जाता है, तो कर्मकार से नियोक्ता के विवेकानुसार किसी भी पाली में कार्य करने की अपेक्षा की जा सकेगी।
- (2) किसी दुकान या किसी स्थापन में किसी सप्ताह में सभी दिन ऐसी शर्तों के अधीन कार्य किया जा सकेगा कि प्रत्येक कर्मकार को विश्राम के कम से कम चौबीस क्रमिक घंटे का साप्ताहिक अवकाश अनुज्ञात किया जागा।
- (3) यदि किसी कर्मकार को साप्ताहिक अवकाश से इनकार किया जाता है तो उसे ऐसे साप्ताहिक अवकाश के दो मास के भीतर उसके बदले में प्रतिकरात्मक छुट्टी दी जाएगी।
- (4) ऐसी पाली में कर्मकारों के सभी वर्गों के लिए किसी सप्ताह में कार्य की अवधि और घंटों की सभी कर्मकारों को लिखित में सूचना दी जाएगी और सुकारक को इलेक्ट्रोलिक रूप से या अन्यथा भेजी जाएगी।
- (5) जहां किसी कर्मकार से विश्राम के दिन कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, वहां वह मजदूरों के उसकी सामान्य दर से दुगुनी दर पर मजदूर का हकदार होगा।

#### अध्याय-4

#### छुट्टी और अवकाश

वार्षिक छुट्टी,  
आकस्मिक और  
बीमारी में छुट्टी  
एवं अन्य अवकाश

- (1) प्रत्येक कर्मकार को साप्ताहिक अवकाश मजदूरी सहित अनुज्ञात होगा :

परंतु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा दुकानों और स्थापनों के विभिन्न दरों या क्षेत्रों के लिए भिन्न-भिन्न दिनों की साप्ताहिक अवकाश के रूप में नियत कर सकेगी।
- (2) प्रत्येक कर्मकार प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में आठ दिन के आकस्मिक अवकाश का मजदूरी सहित हकदार होगा, जिसे कर्मकार के खाते में तिमाही आधार पर जमा किया जायेगा।
- (3) प्रत्येक ऐसा कर्मकार, जिसने एक कलेण्डर वर्ष के दौरान किसी दुकान या स्थापन में 240 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए कार्य किया है, उसे पश्चात्वर्ती कलेण्डर वर्ष के दौरान उसके द्वारा पूर्व कलेण्डर वर्ष के दौरान किये गये कार्य के प्रत्येक 20 दिन के लिए एक दिन की दर से संगणित संख्या के दिनों के लिए मजदूरी सहित छुट्टी की अनुज्ञा दी जायेगी
- (4) प्रत्येक कर्मकार को अधिकतम 45 दिन तक अर्जित छुट्टी संचित



करने की अनुज्ञा होगी।

- (5) जहां नियोक्ता 15 दिन पहले आवेदन की गयी देय छुट्टी से इंकार करता है, वह कर्मकार को 45 दिन से अधिक की छुट्टी को भुनाने का अधिकार होगा :

परंतु यदि कोई कर्मकार इस धारा के अधीन छुट्टी का हकदार है, उसके नियोक्ता द्वारा उसकी छुट्टी अनुज्ञात किये जाने से पहले या यदि आवेदन किया है और छुट्टी से इंकार कर दिये जाने पर, सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु या स्थायी असमर्थता के कारण वह अपना नियोजन छोड़ देता है, तो नियोक्ता उसको देय छुट्टी की अवधि के लिए उसे पूरी मजदूरी का संदाय करेगा।

- (6) कोई कर्मकार एक कलेण्डर वर्ष में 8 वैतनिक उत्सव अवकाश का हकदार होगा, जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्रता दिवस और गांधी जयंती तथा 05 ऐसे उत्सव अवकाश, जिसपर वर्ष के प्रारम्भ से पहले नियोक्ता और कर्मकारों के बीच सहमति हो।
- (7) उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए—
- (क) करार या संविदा द्वारा अथवा आदर्श स्थायी आदेशों या औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश के अधीन यथा अनुज्ञात कामबंदी के किसी दिन :
- (ख) महिला कर्मकार की दशा में प्रसूति प्रसूति अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रसूति अवकाश :
- (ग) उस वर्ष से पूर्व में अर्जित अवकाश, जिसमें का उपभोग किया गया है : या
- (घ) कर्मकार के नियोजन से उद्भूत दुर्घटना द्वारा और उसके नियोजन के दौरान कारित हुई अस्थायी असमर्थता के कारण कर्मकार की अनुपस्थिति को ऐसे दिनों के रूप समझा जायेगा, जिनके कर्मकार ने 240 या अधिक दिन की अवधि की, संगणना के प्रयोजन के लिए कर्मकार ने दुकान या स्थापन में कार्य किया है, किन्तु वह उन दिनों के लिए छुट्टी अर्जित नहीं करेगा।
- (8) उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी सभी अवकाश दिनों के अतिरिक्त होगी चाहे छुट्टी की अवधि के दौरान या उसके आरम्भ में या उसके पश्चात् आते हो।

## अध्याय—5

### कल्याणकारी उपबन्ध

पीने का पानी 12

प्रत्येक नियोक्ता दुकान या स्थापन में नियोजित सभी व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक रूप से अवस्थित उपयुक्त स्थानों पर पेयजल के पर्याप्त प्रदाय की व्यवस्था और अनुरक्षण के लिए प्रभावी इंतजाम करेगा।

- शौचालय एवं मूत्रालय** 13. प्रत्येक नियोक्ता पुरुष और महिला के लिए ऐसे पर्याप्त शौचालय, मूत्रालय की व्यवस्था करेगा, जो विहित किये जाए, जो इतने सुविधाजनक रूप से अवस्थित होंगे, जो दुकान या स्थापन में नियोजक कर्मकारों की पहुंच में हो :
- परंतु उस दशा में जब स्थान की कमी या अन्यथा कारण से किसी दुकान या स्थापन में ऐसा करना सम्भव नहीं हो तो कोई नियोक्ता सामुहिक सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगा।
- शिशुगृह सुविधा** 14. प्रत्येक ऐसी दुकान या स्थापन में जहां 03 या अधिक महिला कर्मकार या 50 या अधिक कर्मकार सामान्यता नियोजित है, वहां ऐसी महिला कर्मकारों के बालकों के उपयोग के लिए शिशु-कक्ष के रूप में उपयुक्त कक्ष या कक्षों की व्यवस्था और अनुरक्षण किया जायेगा
- परन्तु यदि दुकानों या स्थापनों का कोई समूह एक किलोमीटर के घेरे के भीतर सामूहिक शिशु कक्ष की व्यवस्था का विनिश्चय करता है तो मुख्य सुकारक द्वारा, आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उसकी अनुज्ञा देगा।
- प्राथमिक उपचार** 15. प्रत्येक नियोक्ता कार्य स्थल पर ऐसी प्राथमिक उपचार सुविधाओं की व्यवस्था करेगा, जो विहित की जाए।
- जलपान गृह** 16. राज्य सरकार, नियोक्ता से ऐसी दुकान या स्थापन में, जिसमें सौ से अन्यून कर्मकार नियोजित या सामान्यतया नियोजित हैं, उसके कर्मकारों के उपयोग के लिए कैंटीन की व्यवस्था और अनुरक्षण की अपेक्षा करेगी:
- परन्तु दुकान या स्थापनों का कोई समूह सामूहिक कक्षा की व्यवस्था का विनिश्चय करता है तो मुख्य सुकारक आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, उसकी अनुज्ञा देगा।

## अध्याय 6

### सुकारक और उनकी शक्तियाँ और कृत्य

- मुख्य सुकारक और सुकारकों की नियुक्ति एवं उनकी शक्तियाँ** 17. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विहित अर्हता रखने वाले सुकारकों की ऐसे व्यक्तियों को सुकारक नियुक्त कर सकेगी और उन्हें ऐसी स्थानीय सीमाएं समनुदेशित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा मुख्य सुकारक नियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन मुख्य सुकारक को प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त राज्य भर में किसी सुकारक की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

- (2) राज्य सरकार, दुकानों और स्थापनों के निरीक्षण के लिए ऐसी स्कीम विहित कर सकेगी, जिसमें वेब आधारित निरीक्षण अनुसूची

को सृजित करने का उपबंध होगा।

- (3) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक सुकारक और मुख्य सुकारक को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा और वह शासकीय रूप से ऐसे प्राधिकारी के अधीनस्थ होगा, जो राज्य सरकार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें।
- (4) ऐसी शर्तों के अधीन, जो विहित की जाए, उन स्थानीय सीमाओं के भीतर, जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है:—
- (एक) नियोक्ताओं और कर्मकारों को सलाह दे सकेगा और उन्हें ऐसी सूचना उपलब्ध करा सकेगा, जो इस अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी रूप से अनुपालन करने के लिए आवश्यक समझे जाएं,
- (दो) उपधारा (2) में निर्दिष्ट निरीक्षण के लिए स्कीम के अनुसार दुकान और स्थापन का निरीक्षण कर सकेगा और—
- (क) ऐसे व्यक्ति की परीक्षा कर सकेगा, जो दुकान या स्थापन के किसी परिसर में पाया जाता है और जिसे दुकान या स्थापन का कर्मकार होने का विश्वास करने के बारे में सुकारक के पास युक्तियुक्त कारण है,
- (ख) किसी भी व्यक्ति से ऐसी कोई भी सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा, जिसे व्यक्तियों के नामों और पतों की बाबत देने की शक्ति है,
- (ग) ऐसे रजिस्टर मजदूरी के अभिलेख या सूचना या उसके भागों की तलाशी ले सकेगा, उनको अभिगृहीत कर सकेगा या उनकी प्रतियां ले सकेगा, जिसे सुकारक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की बाबत सुसंगत समझता है और जिसका सुकारक के पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह नियोक्ता द्वारा किया गया है,
- (घ) तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन न आने वाले दोषों और कमियों को राज्य सरकार के संज्ञान में ला सकेगा ; और
- (ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, जो विहित की जाए, परन्तु इस धारा के अधीन किसी व्यक्ति को उसे अपराध में फंसाने वाले किसी प्रश्न का उत्तर या कोई साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।
- (5) उपधारा (4) के अधीन सुकारक द्वारा अपेक्षित कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने या कोई सूचना देने के लिए अपेक्षित किसी भी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 175 और धारा 176 के अर्थात्गत इस प्रकार देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध समझा जाएगा।
- (6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंध उपधारा (4) के खण्ड (दो)

के उपखंड(ग) के अधीन ऐसी तलाशी और अभिग्रहण को यथासाध्य ऐसे लागू होंगे, जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किसी वारंट के प्राधिकारी के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण को लागू होते हैं।

## अध्याय 7

### अभिलेख और विवरणियां

- रजिस्टर और अभिलेखों का रखरखाव 18
- (1) प्रत्येक नियोक्ता ऐसे रजिस्टर और अभिलेख रखेगा, जो विहित किए जाएं,
  - (2) अभिलेखों को इलेक्ट्रॉनिक्स दस्ती/नियम पुस्तक रूप में रखा जा सकेगा;

परन्तु किसी सुकारक द्वारा निरीक्षण के समय, यदि ऐसे अभिलेख की सपठनीय प्रति की मांग की जाती है, तो वह नियोक्ता द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्रति प्रस्तुत की जाएगी।

- वार्षिक विवरणी 19
- किसी दुकान या प्रतिष्ठान के प्रत्येक नियोक्ता ऐसे प्रारूप और तरीक में (इलेक्ट्रॉनिक फार्म सहित) में वार्षिक विवरण ऐसे प्राधिकारी को देगा, जो विहित किए जाए।

## अध्याय 8

### अपराध और शास्तियां

- इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति 20
- (1) जो कोई इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों का उल्लंघन वह ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रुपए तक हो सकेगा और निरन्तर उल्लंघन की दशा में ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन निरन्तर रहता है, दो हजार रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा ;

परन्तु यह कि जुर्माने की कुल रकम नियोजित प्रति कर्मकार दो हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

- (2) यदि कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है, उसी उपबंध के उल्लंघन या अनुपालना की असफलता वाले किसी अपराध का फिर से दोषी होता है तो वह किसी पश्चात्वर्ती दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो पांच लाख रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा।

- इस अधिनियम के पंजीयन आदि के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना 21
- जैसा इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उसके सिवाय जहां कोई नियोक्ता इस अधिनियम के किन्ही उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्ही नियमों के उल्लंघन का दोषी अभिनिर्धारित किए जाने पर, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मकार को गंभीर शारीरिक क्षति या उसकी मृत्यु कारित करने वाले कोई दुघटना हुई है, ऐसे कारवास से, जो छह मास तक हो सकेगा या जुर्माने से, जो

दो लाख रूपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रूपए तक हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा।

रजिस्टर इत्यादि  
उपबंध कराने में  
बाधा डालने या  
इंकार करने के  
लिए शास्ति

22.

- (1) जो कोई किसी दुकान या स्थापन के संबंध में किसी सुकारक को उसे इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किन्ही शक्तियों के प्रयोग में जानबूझकर बाधा डालता है या सुकारक को इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रधिकृत कोई निरीक्षण परीक्षा, जांच या अन्वेषण करने के लिए कोई भी युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करने से इंकार करता है या जानबूझकर उपेक्षा करता है, ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रूपए तक हो सकेगा, दंडनीय होगा :
- (2) जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में रखे गये किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को किसी सुकारक द्वारा मांग करने पर प्रस्तुत करने से जानबूझकर इंकार करता है या सुकारक को इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य करने से रोकता है या रोकने का प्रयत्न करता है या ऐसा कार्य करता है, जिसके बारे में उसके पास विश्वास करने का कारण है कि उसके द्वारा वह सुकारक के समक्ष किसी व्यक्ति को उपस्थित होने या उसके द्वारा परीक्षा किए जाने से रोकता है ऐसे जुर्माने से, जो दो लाख रूपए का हो सकेगा, दंडनीय होगा :

परन्तु जुर्माने की कुल रकम नियोजित प्रति कर्मकार दो हजार रूपए से अधिक नहीं होगी।

अपराधों का  
संज्ञान

23.

- (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक उस तारीख से, जिसको अभिकथित अपराध का किया जाना सुकारक के ज्ञान में आए, तीन मास के भीतर इस बाबत शिकायत नहीं कर दी गई हो और शिकायत सुकारक द्वारा फाइल नहीं की गयी हो :

परन्तु जहां अपराध किसी सुकारक द्वारा किए गए किसी लिखित आदेश की अवज्ञा का है, वहां उसकी शिकायत उस तारीख से, जिसको अपराध किया जाना अभिकथित है, छह मास के भीतर की जा सकेगी।

- (2) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गये नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण किसी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई न्यायालय नहीं करेगा।

अपराधों की  
प्रशमन

24.

- (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी ऐसे अपराध का शमन, जो केवल कारावास से या जो कारावास और जुर्माने से, दंडनीय अपराध नहीं है, किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन पर, किसी राजपत्रित

अधिकारी द्वारा, जिसे समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने की पचास प्रतिशत राशि के साथ कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी व्यक्ति द्वारा—

(क) उसी प्रकार का अपराध किए जाने की तारीख से, जिसका पूर्व में शमन किया गया था,

(ख) उसी प्रकार का अपराध किए जाने की तारीख से, जिसके लिए पूर्व में ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया गया था,

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी किसी अपराध का शमन किए जाने की शास्ति का प्रयोगराज्य सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन करेगा।

(4) किसी अपराध के शमन किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसा रीति में किया जाएगा। जो विहित की जाए।

(5) यदि किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पहले किया जाता है, तो ऐसे अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, ऐसे अपराध के संबंध में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा।

(6) जहां किसी भी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है वहां ऐसा शमन, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा उस न्यायालय के ध्यान में लाया जाएगा, जिसमें ऐसा अभियोजन लंबित हैं और अपराध के शमन का इस प्रकार ध्यान में लाए जाने पर वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया गया है, उन्मोचित कर दिया जाएगा।

(7) कोई भी व्यक्ति जो अपराध, (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश का अनुपालन करने में असफल होता है, तो ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के बराबर राशि का संदाय करने का दायी होगा।

(8) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी भी अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

## अध्याय 9

### प्रकीर्ण

सद्भावना में  
लिया गया

25.

इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद,

- कार्यवाही का संरक्षण**
- अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी लोक सेवक या केन्द्रीय या राज्य सरकार की सेवा में ऐसे किसी लोक सेवक के निदेश के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित नहीं की जायेगी।
- छूट देने के लिए शक्ति** 26. यदि राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी, किसी दुकान या स्थापन या उसके किसी वर्ग या किसी नियोक्ता या कर्मकार या नियोक्ता या कर्मकारों के वर्ग को, जिन्हे यह अधिनियम लागू होता है, ऐसे निबंधनो और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, किसी ऐसी अवधि के लिए, जिसे वह ठीक समझे इस अधिनियम के सभी या किन्ही उपबंधो से छूट दे सकेगी।
- अन्य कानूनों का प्रतिषिद्ध न होना** 27. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उसके अल्पीकरण में नहीं होंगे।
- नियम बनाने के लिए शक्ति** 28. (1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :-
- (क) प्राधिकारी, जिसको और प्ररूप तथा रीति, जिसमें धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन किया जाएगा, उपधारा (3) के अधीन श्रमिक पहचान संख्या तथा उपधारा 4 के अधीन श्रमिक पहचान संख्या अभिप्राप्त करने की रीति ;
- (ख) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कर्मकारों के स्वास्थ्य व सुरक्षा (जिसके अर्न्तगत स्वच्छता, प्रकाश, संवातन और आग की रोकथाम भी हैं) के सम्बन्ध में नियोक्ता द्वारा किये जाने वाले उपाय;
- (ग) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन नियमों द्वारा उपबंधित किये जाने विषय;
- (घ) धारा 8 की उपधारा (5) के अधीन वह शर्त, जिसके अध्याधीन कर्मकारों के कतिपय वर्ग को उस धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध लागू होंगे;
- (ङ) धारा 9 के अधीन मजदूरी की उच्चतर रकम की दर;
- (च) धारा 13 के अधीन पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों का उपबंध तथा धारा 15 के अधीन प्राथमिक उपचार सुविधा का उपबंध;
- (छ) धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन सुकारक के अर्हताए, वे शर्तें जिनके अध्याधीन सुकारक उपधारा (4) के अधीन अपनी शक्तियों का और उपधारा (4) के खंड (पप) के उपखंड (ड.) के अधीन प्रयोक्तव्य अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा;

- (ज) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और अभिलेख;
- (झ) धारा 19 के अधीन वार्षिक विवरण दिये जाने का प्ररूप और रीति (जिसके अन्तर्गत इलैक्ट्रॉनिक रूप भी है) तथा वह प्राधिकारी, जिसको ऐसी विवरणी दी जायेगी;
- (ञ) धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन अपराधों के शमन की रीति और उपधारा (4) के अधीन ऐसे शमन के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति;
- (ट) कोई अन्य विषय, जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जो विहित किया जाए;
- (3) राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

कठिनाईयों का दूर करने के लिए शक्ति

29. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजप्रत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो;

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

- (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति

30. (1) उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त को उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में) को इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन अधिनियम के निरसन होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कि गई किसी कार्यवाही को, जहां तक ऐसी बात या कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के असंगत नहीं है, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जायेगी।
- (3) इस धारा में विशिष्ट विषयों के उल्लेख को, निरसन के प्रभाव की बाबत साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के साधारण प्रयोग के प्रतिकूल या उसको प्रभावित करना अभिनिर्धारित नहीं किया जाएगा।



**The Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017**

**[Uttarakhand Act no 03 of 2018]**

**An**

**Act**

to regulate, amend and consolidate the law relating to the regulations of conditions of work and employment in the shops and establishments and for matters connected therewith or incidental thereto,

Be it enacted by the State Legislature of the Uttarakhand State in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

**Chapter 1**

**Preliminary**

- |                                             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Short title, extent and Commencement</b> | <b>1</b> | (1) This Act may be called the Uttarakhand Shops and Establishments (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 2017.<br>(2) It shall come into force to the shops and establishments employed to the ten or more employees .<br>(3) It shall come into force on such date, as the Government may, by notification in the Official Gazette appoint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Definitions</b>                          | <b>2</b> | In this Act, unless the context requires otherwise,-<br>(a) “Chief Facilitator” means the Chief Facilitator appointed as such under sub-section (1) of section 17 of the Act;<br>(b) “day” means the period of twenty-four hours beginning at midnight;<br>(c) “employer” means a person owning or having ultimate control over the affairs of shop or an establishment, and includes,—<br>(d) (i) in the case of a firm or association of individuals, a partner or members of the firm or association;<br>(ii) in the case of a company, a director of the company;<br>(iii) in the case of shop and an establishment owned or controlled by the Central Government or a State Government or any local authority, the person or persons appointed to manage the affairs of such shop or establishment by the Central Government or the State Government or the local authority, as the case may be;<br>(e) “establishment” means such campus who is not campus of such |

any factory or any shop -

- (i) to whom the work is done of any trade business, construction or concerning to them or their incidental or any assistant work of them or any work of journalism or publication or banking, insurance, stock, share, commission of a broker or work of produce; or
- (ii) to whom the work is done for any theatre, cinema or public entertainment of any other work, to whom provisions of the Factories Act, 1948 does not apply.
- (f) 'Notification" means published notification in the gazette.
- (g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (h) "shop" means any premises where any trade or business is carried on or where services are rendered to customers and includes offices, store-rooms, godowns, sale-depots or warehouses, whether in the same premises or otherwise, used in connection with such trade or business but does not include a commercial establishment or a shop attached to a factory where the persons employed in the shop are allowed the benefits provided for workers under the Factories Act, 1948;
- (i) "State" means the state of Uttarakhand;
- (j) "wages" means all remuneration (whether by way of salary, allowances or otherwise) expressed in terms of money or capable of being so expressed which would, if the terms of employment, express or implied, were fulfilled, be payable to a person employed in respect of his employment or of work done in such employment, and includes—
  - (i) any remuneration payable under any award or settlement between the parties or order of a Court;
  - (ii) any remuneration to which the person employed is entitled in respect of overtime work or holidays or any leave period;
  - (iii) any additional remuneration payable under the terms of employment (whether called a bonus or by any other name);
  - (iv) any sum which by reason of the termination of employment of the person employed is payable under any law, contract or instrument which provides for the payment of such sum, whether with or without deductions, but does not provide for the time within which the payment is to be made;
  - (v) any sum to which the person employed is entitled under any scheme framed under any law for the time being in force;
  - (vi) house rent allowance.

but does not include—

- (a) any bonus (whether under a scheme of profit sharing or otherwise) which does not form part of the remuneration payable under the terms of employment or which is not

payable under any award or settlement between the parties or order of a Court;

(b) the value of any house-accommodation, or of the supply of light, water, medical attendance or other amenity or of any service excluded from the computation of wages by a general or special order of the State Government;

(c) any contribution paid by the employer to any pension or provident fund, and the interest which may have accrued thereon;

(d) any travelling allowance or the value of any travelling concession;

(e) any sum paid to the employed person to defray special expenses entailed on him by the nature of his employment; or

(f) any gratuity payable on the termination of employment in cases other than those specified in sub-clause (d).

(j) “week” means the period of seven days beginning at midnight of Saturday;

(k) “worker” means any person (except an apprentice under the Apprentices Act, 1961) employed to do any manual, unskilled, skilled technical, operational or clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied.

**Act not to apply to certain establishments and persons**

3. (1) The provisions of this Act shall not apply to,—
- (a) Any employee holding the post of secret, management or supervisory nature in any shop or any establishment;
  - (b) such any employee which work is inter connection internal;
  - (c) office of the Government or any local authority;
  - (d) offices of Reserve Bank of India;
  - (e) any shop or establishment used for patient, handicapped, without shelter or treatment of mental patient; and
  - (f) any member of the family of any employer.
- (2) A list of the employees referred to in clause (a) of sub-section (1) shall be displayed at a conspicuous place in the shop or establishment and a copy thereof shall be sent to the Facilitator concerned.
4. Nothing contained in this Act shall adversely affect any right or privilege to which any employee may be entitled, on the date on which this Act begins to apply to him, under any law, award, agreement, contract, custom or usage, in force on that date.

**Chapter -2**

**Registration and issue of labour identification number**

- Registration of shops and establishment and issue of labour identification number**
5. (1) On the commencement of this Act every shop or establishment employed ten and more employees on such date of commencement or that date to whom such shop or establishment is in affect within the period of six months shall apply for the registration and shall get labour identification number.
- (2) Every shop and establishment employed ten or more employees certain persons and campus to non application of the Act shall apply for registration in such form and procedure as may be prescribed.
- (3) The authority nominated in sub-section (2) on the receipt of application under sub section (2) shall registered to the shop or establishment and labour identification number shall issued in such form as may be prescribed.
- (4) Notwithstanding anything in this section the registered shops and establishments shall be deemed registered for the purposes of this Act under the Employees State Insurance Act, 1948 or under the rules, regulations and scheme made thereunder;
- Provided that such shops and establishment within the period of six months from the commencement of this Act shall get labour identification number in such procedure as may be prescribed.

### Chapter-3

#### Duties of the employer

- Prohibition of discrimination against woman worker**
6. (1) No woman worker shall be discriminated in the matter of recruitment, training, transfers or promotion or wages.
- (2) No woman worker shall be required or allowed to work in shops or establishment except between the hours of 6 a.m. and 9-00 p.m. :
- Provided that, the woman worker with her consent, shall be allowed to work during 9-00 p.m. and 6-00 a.m. in shops or any establishment in which adequate protection of their dignity, honour and safety, protection from sexual harassment and their transportation from the shop or establishment to the doorstep of their residence as may be prescribed are provided by the employer or his authorised representative or manager or supervisor.
- Health and safety of workers**
7. (1) Every employer shall take such measures relating to the health and safety of the workers including cleanliness, lighting, ventilation and prevention of fire as may be prescribed.
- (2) Every employer shall be responsible for providing constant adequate supervision of the workers employed in the shop or establishment and to ensure the compliance with the rules relating to health and safety made under subsection (1) and for taking steps necessary to prevent accidents.
- Decide and extension to hours of work**
- 8 (1) Subject to the other provisions of this Act, no adult worker shall be required or allowed to work in shop or an establishment for more than nine hours in any day and forty-eight hours in any week. No adult worker shall be asked to work continuously for more than five hours unless he

has been given a break of not less than half an hour:

Provided that, the working hours or weekly holiday may be relaxed in case of work of urgent nature with the previous permission of the Facilitator.

- (2) The spread-over of a worker in shop or an establishment shall not exceed ten and half hours in any day, and in case a worker entrusted with intermittent nature of work or urgent work, the spread over shall not exceed twelve hours.
- (3) Where a worker in shop or an establishment is required to work beyond nine hours a day or forty-eight hours a week, he shall be entitled, in respect of the overtime work, wages at the rate of twice his ordinary rate of wages. The total number of overtime hours shall not exceed one hundred and twenty five hours in a period of three months.
- (4) The State Government shall made following rules-
  - (a) to fix number of that hours of work subject to sub section (1) in which for the employed employee in the shop or establishment with the specified one or more periods shall be constitute of general working day;
  - (b) to provide of such day of rest in every duration of seven days who shall be get all employed employee to the shop or establishment and to made provisions of payment of remuneration for such days of rest.
- (5) The provisions of sub section (1) and sub section (2) shall be applicable subject to the only that extension and such conditions in relation of following categories of employed employees in such shop or establishment as may be prescribed, namely-
  - (a) the working employees in most urgent work or any emergency which prior guess is not possible or cannot be prevent;
  - (b) the working employees in the initial nature or supplementary work in which to be made necessarily before or after the general hours of mentioned work in the rules;
  - (c) the working employees in such work who is made complete before the ending of days for technical causes;
  - (d) the working employees shall not be made except the time depend on uncontrolled proceedings for the natural powers; and
  - (e) most competent employees who is working in the shop or establishment of any information technology, bio-technology and research and development section.

<b>Wages for overtime.</b>	<b>9</b>	Where a worker in shop or an establishment is required to work beyond nine hours a day or forty-eight hours a week, he shall be entitled, in respect of the overtime work, wages at the rate of twice his ordinary rate of wages, as may be prescribed.
<b>Changes in the period of work and rest</b>	<b>10.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>(1) A department or any section of a department of the shop or establishment may work in more than one shift at the discretion of the employer and if more than one shift is worked, the worker may be required to work in any shift at the discretion of the employer.</li><li>(2) Shop or an establishment may be kept open for business on all days in a</li></ol>

week subject to the condition that every worker shall be allowed weekly holiday of at least twenty-four consecutive hours of rest.

- (3) If a worker is denied weekly holiday, the compensatory leave in lieu thereof shall be given within two months of such weekly holiday.
- (4) The period and hours of work in a week for all classes of workers in such shift shall be informed well in advance to all workers in writing and shall be sent to the Facilitator electronically or otherwise.
- (5) Where a worker is required to work on a day of his rest, he shall be entitled to wages at the rate of twice his ordinary rate of wages.

#### **Chapter -4**

#### **Holiday and leave**

#### **Annual leave, Casual leave and leave on medical and other leave**

11. (1) Every worker shall be allowed a weekly holiday with wages;  
Provided that the State Government may appoint different days for different rates or areas of the shops and establishments as a weekly vacation by the notification.
- (2) Every worker shall be entitled to eight days casual leave with wages in every calendar year which shall be credited into the account of the worker on a quarterly basis.
- (3) Every worker who has worked for a period of two hundred and forty days or more in shop or an establishment during a calendar year shall be allowed during the subsequent calendar year, leave with wages for a number of days calculated at the rate of one day for every twenty days of work performed by him during the previous calendar year.
- (4) Every worker shall be permitted to accumulate earned leave upto a maximum of forty-five days.
- (5) Where the employer refuses to sanction the leave due when applied fifteen days in advance, then the worker shall have a right to encash leave in excess of forty-five days:  
Provided that, if a worker is entitled to leave other than casual and festival leave discharged by his employer before he has been allowed the leave, or if, having applied for and having been refused the leave, he quits his employment on account of retirement, resignation, death or permanent disability, the employer shall pay him full wages for the period of leave due to him.
- (6) A worker shall be entitled to 8 paid festival holidays in a calendar year, namely, 26th January, 1st May, 15th August and 2nd October and 5 such other festival holidays as may be agreed to between the employer.
- (7) For the purpose of sub-section (3),—
  - (a) any days of lay-off, by agreement or contract or as permissible under the model standing orders or standing order certified under Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946;
  - (b) in the case of a woman worker, maternity leave as provided for in the Maternity Benefits Act, 1961;
  - (c) the leave earned in the year prior to that in which the leave is availed; or

- (d) the worker has been absent due to temporary disablement caused by accident arising out of and in the course of his employment, shall be deemed to be days on which the worker has worked in anyshop or establishment for the purpose of computation of the period of two hundred and forty days or more, but shall not earn leave for these days.
- (8) The leave admissible under sub-section (3) shall be exclusive of all holidays whether occurring during or either at the end of the period of leave.

## **Chapter-5**

### **Welfare Provisions**

- |                                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Drinking water</b>           | <b>12.</b> | The employer shall make effective arrangements to provide and maintain at suitable points conveniently situated for all persons employed in the shop or establishment, a sufficient supply of wholesome drinking water.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Latrines and urinals</b>     | <b>13.</b> | The employer shall provide sufficient latrine and urinal for men and women as may be prescribed and these shall be so conveniently situated as may be accessible for the workers employed in the shop or establishment :<br><br>Provided that, several employers may provide common facilities of latrines and urinals, in case it is not possible, in shop or establishment due to constraint in space or otherwise.                                                        |
| <b>Children's home facility</b> | <b>14.</b> | In every shop or establishment wherein fifty or more workers are employed, there shall be provided and maintained a suitable room or rooms as children's home for the use of children of such workers :<br><br>Provided that, if a group of shop or establishments, so decide to provide a common children's home within a radius of one kilometer, then, the same shall be permitted by the Chief Facilitator, subject to such conditions as may be specified in the order. |
| <b>First-aid</b>                | <b>15</b>  | Every employer shall provide at the place of work first-aid facilities as may be prescribed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Cafeteria</b>                | <b>16.</b> | The State Government shall require the employer to provide and maintain in the establishment, wherein not less than one hundred workers are employed or ordinarily employed to maintain a canteen for the use of its workers :<br><br>Provided that, if a group of establishments, so decide to provide a common canteen, then the same shall be permitted by the Chief Facilitator by an order, subject to such conditions as may be specified in the order.                |

## **Chapter -6**

### **Facilitator and their powers and duties**

- |                                                                           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appointment of Chief Facilitator and Facilitators and their powers</b> | <b>17.</b> | (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint such persons who possess such qualification as may be prescribed, to be the Facilitator or Facilitators, for the purposes of this Act, and may assign to them such local limits as it may think fit;<br><br>Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint a Chief Facilitator who shall, in addition to the powers conferred on a Chief Facilitator under this Act, exercise the powers of a Facilitator throughout the State. |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- (2) The State Government may prescribe a scheme for randomize inspection of shop and establishments which shall provide for generation of a web based inspection schedule.
- (3) Every Chief Facilitator and Facilitators appointed under sub-sections (1) shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code and shall be subordinate of such authority as a Government as may be specified for this purpose by the State Government.
- (4) Subject to such conditions as may be prescribed, a Facilitator may, within the local limits for which he is appointed—
- (i) advice the employers and workers and provide them such information as may be considered necessary for complying with the provisions of this Act effectively;
  - (ii) inspect the establishment in accordance with the scheme for inspection referred to in sub-section (2), and may—
    - (a) examine any person who is found in any premises of the establishment and whom, the Facilitator has reasonable cause to believe, is a worker of the establishment;
    - (b) require any person to give any information, which is in his power to give with respect to the names and addresses of the persons;
    - (c) search, seize or take copies of such register, record of wages or notices or portions thereof as the Facilitator may consider relevant in respect of an offence under this Act and which the Facilitator has reason to believe has been committed by the employer;
    - (d) ring to the notice of the State Government defects or abuses not covered by the law for the time being in force; and
    - (e) exercise such other powers, as may be prescribed :
- Provided that, no person shall be compelled under this section to answer any question or give any evidence tending to incriminate himself.
- (5) Any person required to produce any document or to give any information required by Facilitator appointed under sub-sections (4) shall be deemed to be legally bound to do so within the meaning of sections 175 and 176 of the Indian Penal Code.
- (6) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, so far as may be, apply to the search or seizure under sub-clause (c) of clause (ii) of sub-section (4) as they apply to the search or seizure made under the authority of a warrant issued under section 94 of the said Code.

## **Chapter 7**

### **Records and Return**

- |                                             |           |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maintenance of registers and records</b> | <b>18</b> | <p>(1) Every employer shall maintain such registers and records, as may be prescribed.</p> <p>(2) The records may be maintained electronically or manually :</p> |
|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Provided that, at the time of inspection by a Facilitator, a hard



copy of such records if demanded, shall be submitted duly signed by the employer or his representative.

- Annual Return**      **19**      The employer of Shop and establishment shall furnish an annual return, in such a form and in such manner (including electronic form), to such authority as may be prescribed.

## **Chapter 8**

### **Offences and Penalties**

- Penalty for contravention of provisions of this Act**      **20**      (1) Whoever, contravenes the provisions of this Act or the rules made thereunder shall be punishable with fine which may extend to two lakh rupees and in the case of a continuing contravention, with an additional fine which may extend to two thousand rupees for every day during which such contravention continues :

Provided that, the total amount of fine shall not exceed two thousand rupees per workers employed.

- (2) If any person who has been convicted of any offence punishable under sub-section (1) is again guilty of an offence involving a contravention or failure of compliance of the same provision, he shall be punished on a subsequent conviction with fine of rupees not less than one lack and which may extend to five lack rupees .

- Penalty for contravention of provisions of registration etc. of this Act**      **21**      Save as otherwise expressly provided in this Act, where an employer on being held guilty of contravention of any of the provisions of this Act or any rules made thereunder which has resulted in an accident causing serious bodily injury or death of a worker, he shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to six months, or with fine which shall not be less than two lakh rupees and which may be extended to five lakh rupees, or with both.

- Penalty for obstructions or refusal to provide register, etc.**      **22.**      (1) Whoever, wilfully obstructs the Facilitator in exercise of any powers conferred on him by or under this Act or refuses or wilfully neglects to afford a Facilitator any reasonable facility for making any inspection, examination, inquiry or investigation authorized by or under this Act in relation to an establishments, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to two lakh rupees.

- (2) Whoever, wilfully refuses to produce on the demand of a Facilitator any register or other document kept in pursuance of this Act or the rules made thereunder or prevents or attempts to prevent or does anything which he has reason to believe to prevent any person from appearing before, or being examined by, a Facilitator acting in pursuance of his duties under this Act, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to two lakh rupees :

Provided that, total amount of fine shall not exceed two thousand rupees per worker employed.

- Cognizance of offences**      **23**      (1) No Court shall take cognizance of any offence punishable under this Act and the rules made there under unless a complaint in respect thereof is made by the Facilitator within three months of the date on which the alleged commission of the offence came to the knowledge of the Facilitator :

Provided that, where the offence consists of disobeying a written order made by a Facilitator, complaint thereof may be made within six months of the date on which the offence is alleged to have been committed.

(2) No Court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act or the rules made there under.

**Compounding  
of offences**

- 24.** (1) Any offence punishable under this Act, not being an offence punishable with imprisonment only, or with imprisonment and also with fine, may, on an application of the accused person, either before or after the institution of any prosecution, be compounded by a Gazetted Officer, as the State Government may, by notification, specify, with fine provided for such offence, in the manner as may be prescribed.
- (2) Nothing contained in sub-section (1) shall apply to an offence committed by a person for the second time or thereafter within a period of five years from the date—
- (a) of commission of a similar offence which was earlier compounded;
- (b) of commission of similar offence for which such person was earlier convicted.
- (3) Every officer referred to in sub-section (1) shall exercise the powers to compound an offence, subject to the direction, control and supervision of the State Government.
- (4) Every application for the compounding of an offence shall be made in such form and manner as may be prescribed.
- (5) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.
- (6) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought by the officer referred to in sub-section (1) in writing, to the notice of the Court in which the prosecution is pending and on such notice of the composition of the offence being given, the person against whom the offence is so compounded shall be discharged.
- (7) Any person who fails to comply with an order made by the officer referred to in sub-section (1), shall be liable to pay a sum equivalent to twenty per cent. of the maximum fine provided for the offence, in addition to such fine.
- (8) No offence punishable under the provisions of this Act shall be compounded except under and in accordance with the provisions of this section.

**Chapter 9**

**Miscellaneous**

**Protection of  
action taken**

- 25.** No suit, prosecution or legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

**in good faith**

- |                                        |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Power to exempt</b>                 | <b>to</b> | <b>26.</b> | The State Government may, by notification in the Official Gazette, exempt from the operation of all or any of the provisions of this Act or rules, shop or establishment or class thereof or any employer or worker or person or class of employers or workers or persons to whom this Act applies for any period on such terms and conditions, as it may think fit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Not in derogation of other laws</b> | <b>in</b> | <b>27</b>  | The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force of this Act.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Power to make rules</b>             | <b>to</b> | <b>28</b>  | <p>(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.</p> <p>(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the State Government may make rules regarding all or any of the following matters; namely-</p> <p>(a) Authority, form and procedure in which application shall be made under sub section (2) of section 5, labour identification number under sub section (3) and the procedure of getting labour identification number under sub-section (4);</p> <p>(b) Measurement to be made by the employer in relation to health and safety (in which sanitary, light, air and prevention of fire is also include) of the employees under sub section (1) section 7;</p> <p>(c) Matters provided by the rules under sub section (4) of section 8;</p> <p>(d) The conditions under sub section (5) of section 8, in which certain categories of employees the sub section (1) and (2) of that section shall be applicable;</p> <p>(e) The rate of highest amount of wages under section 9;</p> <p>(f) The provisions of sufficient toilet and urinal under section 13 and provisions of elementary treatment facility under section 15;</p> <p>(g) The qualification of Facilitator under sub section (1) of section 17, such conditions in which the Facilitator shall be exercised his powers under sub section (4) and perform duties under sub clause (e) of clause (u) of sub section (4);</p> <p>(h) The register and records maintained by employer under sub section (1) section 18.</p> <p>(i) The form and procedure given in annual report (in which as electronic is also include) and that authority such details shall be given;</p> <p>(j) The procedure of compounding under sub section (1) of section 24 and the forms and procedure of application for such compounding under sub section (4);</p> <p>(k) any other matters which is or may be prescribed;</p> <p>(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State Legislature</p> |
| <b>Power to remove</b>                 | <b>to</b> | <b>29</b>  | <p>(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, as occasion arises, by an order published in</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**difficulties**

the Official Gazette, do anything not inconsistent with the provisions of this Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty :

Provided that, no such order shall be made after the expiry of the period of two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under sub-section (1) shall be laid, as soon as may be, after it is made, before each House of the State Legislature.

**Repeal and Savings**

**30**

- (1) The Uttar Pradesh Dookan aur Vanijya Adhishthan Adhiniyam, 1962 (as applicable to the State of Uttar Pradesh and to the context of the State of Uttarakhand), is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Act shall be deemed to have been done or taken under this Act is not inconsistent of the provision of this Act.
- (3) The details of special matters in this section for the purpose of effect of this repeal shall not be determined contradictory of general use or affected to him of the provision of section 6 of the General Clauses Act, 1897.

---

lawrbit.com